



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/NH-44/MSEDCL/2024-25/ 2652

Date: 08.03.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Permission for laying of 3 core 300 sq.mm. XLPE HT UG Cable at NHAI Road across and road parallel from Km. 710+600 to Km.718+800, Km.712+100 to Km.712+700 & 3 Nos. crossings 718+800, Km.718+700 and Km. 726+200 on Jabalpur Nagpur Section of NH-44 and from Km.542+650 to Km.543+850 on Nagpur Bhandara Section of NH-53 - Approval- Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 5329 dated 05.03.2025.
2. EE, MSEDCL, Mouda Division, Mouda, letter no. 132 dated 14.01.2025.

It is to inform all concern that M/s MSEDCL. letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL is as follows:

- Laying from km 710.600 to km 718.800 & km 713.100 to km 713.700 on NH-44
- Crossing at km 718.800, km 718.700 & 726.200
- Laying from km 542.650 to km 543.850 on NH-53.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(निर्मल एम. झाडे)
08/03/25

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एन.एच.ए.आई/आर.ओ/एन.एच.ए.आई/एन.एच.ए.आई/एन.एच.ए.आई/डी.सी.एल/2024-25/ 2652

दिनांक: 08.03.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: एनएच-44 के जबलपुर नागपुर खंड पर किमी 710+600 से किमी 718+800, किमी 712+100 से किमी 712+700 और 3 क्रॉसिंग 718+800, किमी 718+700 और किमी 726+200 और एनएच-53 के नागपुर भंडारा खंड पर किमी 542+650 से किमी 543+850 तक एनएचएआई रोड पर सड़क के समानांतर और पार 3 कोर 300 वर्ग मिमी एक्सएलपीई एचटी यूजी केबल बिछाने की अनुमति - अनुमोदन- संबंधित।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 5329 दिनांक 05.03.2025।
2. ईई, एमएसईडीसीएल, मौदा डिवीजन, मौदा, पत्र संख्या 132 दिनांक 14.01.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स एमएसईडीसीएल द्वारा प्रस्तावित संरेखण इस प्रकार है:
 - एनएच-44 पर किमी 710.600 से किमी 718.800 और किमी 713.100 से किमी 713.700 तक बिछाई जाएगी
 - किमी 718.800, किमी 718.700 एवं 726.200 पर क्रॉसिंग
 - एनएच-53 पर किमी 542.650 से किमी 543.850 तक बिछाया जाएगा।
3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(निर्मल. एम. छाटे)
08/3/25

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईटी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]